

40एल0आरो
जिसके अनुसार
सीधल
08/10/21

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आर0एल0आरो
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जाय की गई। जिसके अनुसार
सीधल महेंद्र प्रकाश कुमार पर महेन्द्र प्रकाश

पुत्र काकुलाल किशोरा अर्द्ध

08/10/21
प.ए.सीधल
L.D. कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

(संजय चौधरी)
सरपंच
ग्राम पंचायत-सीधल

क्रमांक राजस्व/2020/ 7

दिनांक :- 8.10.21

गूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णित नाम का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशप्ता की जाती है /नहीं की जाती है।

तहसीलदार गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
- आदेश :-

दिनांक :- 8-10-2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सीधल	2075-78	2180/0 1260, 1261, 1262	महेन्द्र प्रकाश कुमार	महेन्द्र कुमार 37 काकुलाल

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 32-33
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 8-10-2021

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी